

कार्यालय नगर पंचायत, जयनगर (मधुबनी)

पत्रांक 946 दिनांक 03-12-2018

A.P.
17.12.18

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जयनगर।

वरीय लेखा पदाधिकारी,
शहरी स्थायी निकाय,
सोशल सेक्टर-1
महालेखाकार, बिहार, पटना।

S.O. 2
17.12.18

विषय:-

नगर पंचायत जयनगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-96/
2008-09 की लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित
साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

श्री संजीव
17/12/18

प्रसंग:-

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1978 दिनांक
- 31.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि
नगर पंचायत जयनगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 96/2008-09 वर्ष 2001-02 से
2006-07 की लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ
संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की
जाय।

विश्वासभाजन

ए-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जयनगर

ज्ञापांक- 946

दिनांक- 03-12-2018

प्रतिलिपि:-

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर
सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जयनगर

सीमा विकास योजना के लिये अग्रिम का समायोजन

क्र० सं०	अभिकर्ता का नाम	लिये गये अग्रिम की राशि	अग्रिम के विरुद्ध किये गये कार्य का मुल्य	अभिकर्ता को देय राशि
1	श्री सुर्यदेव प्रसाद सिंह	6795500.00	7353650.00	558150.00
2	श्री राजकुमार सिंह	700000.00	710497.00	10497.00
योग		7495500.00	8064147.00	568647.00
3	श्री बिमल कुमार चौधरी	107500.00	0.00	चालान द्वारा जमा 10/08/2017 को
योग		7603000.00	8064147.00	
4	श्री जर्नादन ठाकुर, कनिय अभियंता	1900000.00	1852780.00	42220 रूपये वसूलनीय है।
योग		9503000.00	9916927.00	

अग्रिम शीर्ष में क्रेडिट	9455780.00
योजना शीर्ष में डेबिट	9916927.00
शेष भुगतेय राशि	568647.00
वसूलनीय राशि	47220.00

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जयनगर।

समाहरणालय, मधुबनी ।

(जिला शहरी विकास अभिकरण)

पत्रांक- 90/2016/जि0श0वि0अ0 ।

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जयनगर।

मधुबनी, दिनांक- 21/10/2016 वी0 दिसम्बर, 2016 ई0।

विषय :-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत, जयनगर के अन्तर्गत योजना कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-567 दिनांक-20.08.2016

विशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत, जयनगर के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक-697 दिनांक-31.08.2010 एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर का पत्रांक-144 दिनांक-11.08.2011 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी की अध्यक्षता में सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं की टीम का गठन इस कार्यालय के पत्रांक-129/जि0श0वि0अ0 दिनांक-08.10.2011 द्वारा किया गया। उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी के पत्रांक-253 (E) दिनांक-25.08.2012 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

विदित हो कि पूर्व में जांच दल द्वारा इन योजनाओं में पाई गई अनियमितताओं के लिए दर्ज प्राथमिकी संख्या-171/2006 से संबंधित जांच व्यवहार न्यायालय मधुबनी में अंतिम रूप न्याय निर्णय हेतु लंबित है। इन योजनाओं के अभिकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किमनल भिस0नं0-48649/2007 सुर्यदेव प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार में दिनांक-20.11.2007 को पारित ओदर एवं लोक अभियोजक, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक-2310/2014 लोक अभियोजक, दिनांक-05.09.2014) के अनुसार अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित अभियंताओं द्वारा निम्नलिखित कार्य करने देना बाध्य है:-

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जयनगर के पत्रांक-253 (E) दिनांक-25.08.2012 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित मापिपुस्त एवं अन्य मंतव्यों/निर्देशों के अनुसार गणना करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, जयनगर का अपनी देख-रेख में नियमानुसार कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश इस कार्यालय पत्रांक-24 दिनांक-11.10.2012 द्वारा दिया गया। तद्दालोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि योजना अभिकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन में यह बताया गया है कि इन सभी योजनाएँ का प्राक्कलन वर्ष 2006-07 के प्रचलित दर पर इसलिए योजना अभिकर्ता इस दर पर कार्य पूर्ण करने हेतु तैयार नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी, जयनगर द्वारा अग्रिम समायोजन हेतु अभिकर्तावार गणना निम्न प्रकार से प्रतिवेदित किया गया है :-

क्र0	अभिकर्ता का नाम	कुल योजना	अभिकर्ता द्वारा प्राप्त अग्रिम	अभिकर्ता द्वारा अग्रिम के विरुद्ध कार्य का मूल	अभिकर्ता को देय राशि	अभिकर्ता से वसूलनीय राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री. सुर्यदेव प्रसाद सिंह	14	6795500.00	2533650.00	5261850.00	0	
2	श्री राज कुमार सिंह	5	700000.00	710467.00	10497.00	0	
3	श्री विमल कुमार चौधरी	1	107500.00	0	0	107500.00	

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि विभागीय पत्रांक-697 दिनांक-31.08.2010 के आलोक में संबंधित योजनाओं के अग्रिम कार्यों की मापी कराकर संबंधित न्यायालय से कार्य पूर्ण कराने की अनुमति प्राप्त किया जाय। तत्पश्चात अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम से अधिक कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाई की जाय। साथ ही अग्रिम के विरुद्ध कम कार्य करने वाले अभिकर्ता से राशि वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

विराजसमाज

21/10/16
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।